संख्या-49भास/सैंतीस-2-2010-30(46)/02

प्रेषक,

आर.के.शर्मा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2010

विषयः- दैवी आपदा की स्थिति में पशु चारे/भूसे के भण्डारण के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में व्यापक रूप से सूखे से निपटने तथा सूखे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना पशुधन के प्रबन्धन के लिए आवश्यक है। धान एवं गेहूँ की कम्बाइन्ड हार्वेस्टर कम्बाईन से कटाई के कारण पशु चारे की भारी क्षति हो रही है। बड़े कृषको द्वारा हार्वेस्टर से फसलों की कटाई के उपरान्त अवशिष्टों को खेतों में ही जला दिया जाता है। गेहूँ की कटाई हार्वेस्टर कम्बाईन से कम से कम कराने हेतु कृषक गोष्ठियों का आयोजन करके कृषकों को परामर्श दिया जाय। यदि हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है तो यथासम्भव रीपर के साथ ही किया जाय तथा कृषि अवशिष्टों को जलाया न जाय ताकि भूसा भी उपलब्ध हो सके।

जनपद के भूसा व्यापारियों की सूची भी रखी जाय तथा उन्हें भूसे की आपूर्ति हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भूसे का प्रयोग गत्ता बनाने या अन्य उद्यमों में न हो। इसी तथ्य के दृष्टिगत उ0प्र0सरकार द्वारा अधिसूचना सं0-25/37-2-2003-30(46)/2003, दि0-20.03.03 द्वारा पशु चारे के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दी गयी थी।

3- उपरोक्त के साथ-साथ दैवी आपदा की स्थिति में पशु चारे/भूसे के भण्डारण की भी समुचित व्यवस्था की जाय। सार्वजनिक भूमि, गोशालाओं तथा गोसदनों की भूमि चारे के उत्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने पर भी अपने स्तर से कार्यवाही करें।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए शासन को पाक्षिक सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर.के.शर्मा)
कृषि उत्पादन आयुक्त

पृ0सं0-49भास(1)/सैंतीस-2-2010- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
अनु सचिव